यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 23/2016

बउनवान

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री चौथमल उम्र 30 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति गुर्जर निवासी हाउसिंग बोर्ड वार्ड नं0 6 झालावाड रोड बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता)** मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी, झालावाड रोड हाउसिंग बोर्ड के सामने बारॉ जिला बारॉ

2– श्रीमती धाराबाई पत्नि श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी हाउसिंग बोर्ड वार्ड नं0 6 झालावाड रोड बारॉ **(मालिक)** मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी, झालावाड रोड हाउसिंग बोर्ड के सामने बारॉ जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री नन्द किशोर गुर्जर अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 14.1.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11.2015 को 3.15 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी, झालावाड रोड हाउसिंग बोर्ड के सामने बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री चौथमल उम्र 30 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति गुर्जर विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 26.11.2015 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ 20 लीटर गाय का दूध स्टील की टंकी मे डिफ्रिजर मे विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त गाय के दूध मे मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त गाय के दूध मे से 2 लीटर हिलामिलाकर एक समरूप करके वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 60/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर गाय के दूध को को चार भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–559 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 559 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/48 दिनांक 25.1.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/L.S./3999/Act/2015/179 दिनांक 13.1.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, गाय का दूध अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया।

उक्त केस मे अप्रार्थीगण ने (Sub Standard) गाय के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.10.2016 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा जिस गाय के दूध का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे (Sub Standard) पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थीगण धारा 51 के तहत को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा कि मद नं01 मे प्रार्थी को अधिसूचना के तहत अधिकारी नियुक्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। मद नं0 2 जिस प्रकार लिखी गई है गलत होने से स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण ने अपनी डेयरी पर मिलावटी दुध का विक्रय नही किया है। मद नं0 3 जिस प्रकार लिखी गयी है गलत होने से स्वीकार नही है। मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गयी है। गलत होने से स्वीकार नही है और कथन है कि प्रार्थी द्वारा गलत रूपे से प्रकरण बनाया गया है। प्रार्थी व उसकी टीम द्वारा आसपास वालो से पूछताछ कर गलत रूप से हम अप्रार्थीगण की बन्द दुध डेयरी होते हुये प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है जो निरस्तनीय है। खाद्य निरीक्षक बारॉ द्वारा नियमों की पालना नही की गयी है। क्योकि घटना के समय प्रार्थी उत्तरदाता मौजूद नही थे और अन्य डेयरी वालो ने प्रार्थी उत्तरदाता का नाम झूठा बता दिया गया है। जबकि घटना के दिन उक्त डेयरी बन्द थी और राधाबाई के पति का इन्तकाल हो गया था। इसलिये वह वहा पर चली गयी थी। इस प्रकार वह पोन महिने तक इस डेयरी पर नही आई थी। इसलिये जो मुल0 बनाया गया है वह गलत बनया है। इस प्रकार पुरा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। यह कि पूरे प्रार्थना पत्र मे यह कही अंकित नही है कि प्रार्थी के पास कौन–कौन से बर्तन उपलब्ध थे और किस–किस बर्तन के कितना दूध उपलब्ध था। इससे भी यह साबित होता है कि जो प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया गया है वह स्वतः ही फर्जी है। डेयरी मालिक एक गरीब विधवा महिला है, जो थोडा बहुत दूध विक्रय कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/L.S./3999/Act/2015/179 दिनांक 13.1.2016 के बाद अप्रार्थीगण को एक माह का समय उक्त दूध की पुनः जॉच करवाने हेतु दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जॉच नही करवायी गयी है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, गाय का दूध जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थीगण को धारा 51 के तहत 2000/–रूपये, (अक्षरे दो हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)